राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान

झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक :—F-109(11)/SIHFW/MH-Recruit/DT/2023/ 7874 दिनांकः— 8/8/2023

ई.सी.जी. टेक्नीशियन एवं दन्त टेक्नीशियन भर्ती 2023 में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु आवश्यक सूचना

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर द्वारा नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती 2023 के क्रम में जारी विज्ञप्ति क्रमांक F-109(13)/SIHFW/MH-Recru/ECG/2023/5792, दिनांक 22.06.2023 एवं F-109(11)/SIHFW/MH-Recruit/DT/2023/5612, दिनांक 13.06.2023 के समस्त आवेदकों को सूचित किया जाता है कि ई.सी.जी. टेक्नीशियन के पदों पर आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थी दिनांक 12.08.2023 को प्रातः 10.00 बजे एवं दन्त टेक्नीशियन के पदों पर आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थी दिनांक 14.08.2023 को प्रातः 9.30 बजे राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर में दस्तावेज सत्यापन कार्य हेतु व्यक्तिगत रूप से ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र का प्रिन्ट आउट एवं आवेदन के साथ अपलोडेड समस्त दस्तावेजों की स्वः सत्यापित फोटो प्रति तथा मिलान हेतु समस्त संबंधित मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाये जाने का तात्पर्य आवेदक की पात्रता की जांच करने मात्र से है एवं यह किसी भी रूप में मेरिट में चयन किया जाना नही है। आवेदकों की मेरिट सूची दस्तावेज सत्यापन के परिणाम पर निर्भर होगी। दस्तावेज सत्यापन हेतु अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को पुनः अवसर नही दिया जायेगा तथा इनकी पात्रता स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी। ई—मेल, डाक या अन्य किसी माध्यम से भिजवाये गये दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। इस संबंध में दिशा—निर्देशों एवं दस्तावेजों की सूची हेतु वैबसाईट www.sihfwrajasthan.com एवं www.rajswasthya.nic.in का नियमित रूप से अवलोकन करें।

08/08/23

निदेशक

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान

जयपुर, राजस्थान

ई0सी0जी0 टेक्नीशियन एवं दंत टेक्नीशियन भर्ती 2023 – दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में दिशा–निर्देश

1. दस्तावेज सत्यापन हेतु ई0सी0जी0 टेक्नीशियन पद हेतु आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थी दिनांक 12.8.2023 को प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक एवं दंत टेक्नीशियन पद हेतु आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थी दिनांक 14.8.2023 को प्रातः 9.30 बजे से सायं 5.00 बजे तक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान में स्वयं उपस्थित होना सुनिश्चित करे।
2. विशेष योग्यजन श्रेणी के अभ्यर्थी सर्वप्रथम सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष शारीरिक परीक्षण हेतु उपस्थित होंगें एवं तत्पश्चात दस्तावेज सत्यापन हेतु राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान में उपस्थित होंगे।
3. नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु पुनः अवसर नहीं दिया जायेगा तथा इनकी पात्रता स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
4. दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी संबंधित पदों को भरे जाने हेतु जारी विज्ञप्ति का भली भांति अध्ययन कर ऑनलाईन आवेदन का प्रिन्ट आउट (जिसमें ऑनलाईन आवेदन आई0डी0 कमांक एवं निर्धारित शुल्क भुगतान की रसीद अंकित हो), मिलान हेतु सभी संबंधित मूल दस्तावेज एवं मूल दस्तावेजों की एक फोटो प्रति जो स्वयं द्वारा सत्यापित हो, सहित उपस्थित हो।
5. जन्मतिथि के सत्यापन हेतु सैकण्डरी परीक्षा की अंकतालिका (अथवा प्रमाणपत्र) जिसमें जन्मतिथि अंकित हो, साथ लेकर आये।
6. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगें। अन्य पिछडा वर्ग एवं अति पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी नवीनतम जाति प्रमाण पत्र एवं एक वर्ष से अधिक पुराना जाति प्रमाण पत्र होने की स्थिति में नॉन कीमीलेयर श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र साथ लेकर आये।
7. आर्थिक रूप से पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी भी आर्थिक रूप से पिछडा वर्ग में होने संबंधी नवीनतम प्रमाण पत्र एवं एक वर्ष से अधिक पुराना प्रमाण पत्र होने की स्थिति में इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे।
8. विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार विधवा वर्ग में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं मृत व्यक्ति के पति होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें एवं तलाकशुदा वर्ग में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिकी प्रस्तुत करें।
9. दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी संबंधित मूल दस्तावेजों एवं मूल दस्तावेजों की फोटो प्रति का कम इस प्रकार रखेः–
   (i) ऑनलाईन आवेदन का प्रिन्ट आउट।

(ii) सैकण्डरी परीक्षा की अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र।

(iii) जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।

(iv) मूल निवास प्रमाण पत्र/विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र।

(v) विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।

(vi) उत्कृष्ट खिलाडी वर्ग में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी उत्कृष्ट खिलाडी होने संबंधी प्रमाण पत्र।

(vii) भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अभ्यर्थी सेवानिवृत्ति पर जारी पीपीओ ।

(viii) सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण अंकतालिका।

(ix) व्यावसायिक योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण अंकतालिकाएं।

(x) राजस्थान की संबंधित काउन्सिल का अद्यतन वैध पंजीयन प्रमाण पत्र।

(xi) अनुभव प्रमाण पत्र ।